

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 283—289

Dated 12-4-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 61.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1995 के उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान, इन नियमों के अनुबंध के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे जुड़े अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. निरर्हताएं .—कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जिसने—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित हो; अथवा

(ख) अपनी पत्नी या अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

बशर्ते केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति या विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू निजी कानून के अनुसार ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के आधार मौजूद हैं।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार का विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं कालोचित है, वह आदेश जारी कर, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसा करना होगा, किसी भी वर्ग या श्रेणी के लोगों के संबंध में किसी भी उपबंध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति .—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और दूसरी रियायतें इन नियमों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद हैं या गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन नियमावली), 1972 के नियम, 30 के तहत अतिरिक्त सेवा वर्षों का लाभ देय है	प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)	*1 (2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 18400- 500-22400	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों या आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)।

(7)

टिप्पणी : आयु सीमा तय करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (वह अंतिम तारीख नहीं जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए है)।

सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति प्राप्त लोगों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	-------------------------------

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं है

सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष;

(ii) भारतीय बॉयलर अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों व विनियमों के परिचालन में या बॉयलरों के विनिर्माण/परिचालन/रख-रखाव/निरीक्षण में प्रबंधकीय हैसियत से पंद्रह वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

टिप्पण 2. यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभव की योग्यता(ओं) में विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समाहित करने के माध्यम से और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समाहित करने द्वारा भर्ती होने के मामले में जिन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समाहित करने का काम किया जाना है

(11)	(12)
सीधी भर्ती :	लागू नहीं ।
टिप्पण : पदधारी के एक वर्ष तक या उससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लम्बे समय तक बीमार रहने अथवा अध्ययन के लिए छुट्टी पर होने या अन्य परिस्थितियों के तहत बाहर होने पर रिक्त पदों पर केन्द्र सरकार के उन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जा सकता है :-	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या	
(ii) जो काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् रुपये 14300-400-18300 या उसके समतुल्य वेतनमान की श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुके हों; और	
(ख) जिन्हें स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हों ।	
टिप्पण : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	
यदि एक डीपीसी मौजूद है तो उसका संयोजन किस प्रकार का है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना है
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) :-	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी है ।
1. सचिव, भारत सरकार (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) — अध्यक्ष	
2. अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग — सदस्य	

[सं. ए.-12018/2/2007-ए. I]

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Technical Adviser (Boiler) Group 'A' post Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Adviser (Boiler) in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Adviser (Boiler) Group 'A' post Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category, of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Advisor (Boiler)	1* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group (A), Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	No	Not exceeding 50 years Relaxable for Government servants upto 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(8)

(9)

(10)

Essential :

Not applicable

One years for direct recruitment

(i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent;

(ii) Fifteen years' experience in a managerial capacity in the working of the Indian Boilers Act and Rules and regulations framed thereunder or the manufacture/operation/maintenance/inspection of Boilers.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

Direct recruitment :

Not applicable

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government—

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(11)

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

Note : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'A'

Departmental Promotion Committee (for Confirmation) :—

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1. Secretary to the Government of India (Industrial Policy and Promotion) —Chairman
2. Additional Secretary and Financial Adviser to the Government of India, Department of Industrial Policy and Promotion — Member

[No. A. 12018/2/2007-EI]

P. BHARDWAJ, Under Secy.